

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) हनुमानगढ़

क्रमांक :- एफ35(9)()सहा/खरीफ सूखा/2019/161-64

दिनांक :- 26.3.21

श्रीमान् शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन सहायता एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- खरीफ सूखा 2019 (संवत् 2076) बिल कोषालय से पारित होने के पश्चात
ECS होने नहीं हो पश्चात कोषालय द्वारा बिल वापिस करने के संबंध में।

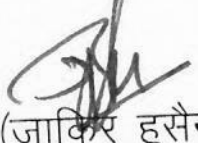
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के द्वारा खरीफ सूखा 2019 (संवत् 2076) का बिल नं. 1008923 दिनांक 02.03.2021, कृषकों 1911 राशि 1,04,06,398 रुपये (मद 2245-01-800-03-05-12) तहसील नोहर का कोषालय से पारित होकर ECS नहीं होने के कारण कोषालय द्वारा Reference No 32430934 को Reject कर बिल Correction हेतु पुनः इस कार्यालय को भिजवाया है।

इस कार्यालय द्वारा पे-मैनेजर से बिल Revert करके बिल में से 5 कृषकों का IFSC कोड गलत होने के कारण, वर्णित कातशकारों का डाटा Delete करके शेष 1906 राशि 1,04,06,398 रुपये का बिल पुनः Procces किया गया, परन्तु पे-मैनेजर द्वारा बिल का Reference No सामान होने के कारण बिल कोषालय में Forwarded नहीं हो रहा है। कोषालय से सम्पर्क करने पर अवगत करवाया गया कि उक्त बिल को नये बिल नम्बर से Procces करने पर ही बिल कोषालय में Forwarded होगा अन्यथा बिल कोषालय forwarded नहीं होगा।

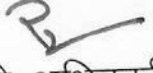
अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि DMIS पोर्टल पर बिल संख्या 1008923 दिनांक 02.03.2021 राशि के स्थान पर नया बिल नम्बर DMIS पोर्टल पर Generate करवाने का श्रम करावें ताकि उक्त बिल का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष किया जा सके।

भवदीय,


(जाकिर हुसैन)
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर।
2. हैल्प डेस्क DMIS Portal, कार्यालय शासन सचिव, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय हनुमानगढ़।


प्रभारी अधिकारी (सहायता)
कलैक्ट्रेट हनुमानगढ़